सं0-2/2010/52-3-2013-14(72)/95टी0सी0

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी
सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक ,
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ : दिनांक दिसम्बर,2013

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनरीक्षित समय सारिणी निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक आ सं0 -3323/अ0स0क0नि0-968/पू द0छा)/2013-14, दिनांक 21-11-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0- /52-3-12-14(72)/95 टी0सी), दिनांक 14-1-2013 द्वारा अल्पसंख्यको हेतु संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत की गयी है।

2- वर्ष 2013-14 में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश सं0-1750 /52-3-12-14(72)/95 टी0सी), दिनांक 01-10-2013 द्वारा समय सारिणी निर्धारित की गयी थी। उक्त योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना से एकरूपता बनाये जाने के उददेश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत समय सारिणी में आंशिक संशोधन करते हुये अल्पसंख्यक

वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु निम्नांकित पुनरीक्षित समय सारिणी निर्धारित की जाती □□

क्रमांक	कार्यवाही का विवरण	प्रस्तावित कार्य योजना एवं समय सारिणी	
		पूर्व में निर्धारित समय सारिणी	प्रस्तावित पुनरीक्षित समय सारिणी
1	2	3	4
1	संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	15 अक्टूबर, 2013 □□	15 अक्टूबर,2013 □□
2	शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित जनपदीय/ क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किया जाना तथा शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठयक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तु 'छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति' को प्रेषित किया जाना।	15 तक	15 अक्टूबर 2013 □□	31 अक्टूबर 2013 □□
3	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत जनपद स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों (जंक आदि सहित) का अन्तिम रूप से स्टेट □□0□□0□□0 की बेव साइट पर अपलोड किया जाना ए	15 तक	15 नवम्बर 2013 □□	15 दिसम्बर 2013 □□

	एन0आई0सी) द्वारा वेब साइट को लां किया जाना।		
4	'छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति' के स्वीकृति आदेश सहित जिला त सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किया जाना छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अन्तरित किया जाना।	15 नवम्बर 2013 तक	15 जनवरी 2014 तक

4- कृपया उपरोक्त संशोधित समय सारिणी के अनुसार योजना के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। शासनादेश की शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें। योजनान्तर्गत दिनांक 15-10-2013 तक छात्र/छात्राओं द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों ही विचार किया जायेगा।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
सचिव

संख्या-2010(1)/52-3-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उ0प्र0।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।